अज अदालत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

प्रार्थी		अप्रार्थी
ग्राम पंचायत धुवाणा जरिये सरपंच श्रीमती सानुकंवर धर्मपत्नी नरपतसिंह राजपूत निवासी धुवाणा तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुश परिहार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 73/2023

दिनांक 13.10.2023

–:आदेश:–

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत धुवाणा ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी ग्राम पंचायत धुवाणा के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि आराजी मौजा धुवाणा पटवार हल्का धुवाणा भूअभिलेख निरीक्षक पोसालिया तहसील शिवगंज में स्थित है। मौजा धुवाणा के खाता संख्या 213 कुल खसरे 14 कुल क्षेत्रफल 125.2257 हैक्टेयर जिसमें से खसरा नम्बर 329/32 रकबा 0.1214 हेक्टेयर भूमि आई हुई स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड के नक्शे में सही सीमांकन नहीं होने से राजस्व नक्शें में न्यायहित में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो एवं मौका जांच अनुसार ग्राम पंचायत धुबाणा के कब्जे एवं खातेदारी हक की कृषि भूमि मौजा धुवाणा के खसरा नम्बर 329/32 रकबा 0.1214 हेक्टेयर किस्म शमशान जमावंदी संवत् 2078 वर्ष 2022 में दर्ज है। पूर्व में उक्त खसरा तहसीलदार शिवगंज के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/3639–41 दिनांक 16.11.2021 की पालना में राजस्थान सरकार सिवायचक रकब 0.15 बीघा किस्म ब 2 नहरी के नाम से दर्ज हुआ जो श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सिरोही के आदेश क्रमांक प 12(3)(47) राजस्व/2021/123–128 दिनांक 04.01.2022 व तहसीलदार शिवगंज के आदेश क्रमांक राजस्व/2022/176 दिनांक 19.01.2022 की पालना में ग्राम पंचायत धुवाणा में रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म शमशान के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 1010 दिनांक 08.04.2022 से दर्ज की गई थी। उक्त भूमि का नामान्तरकरण दायर करते वक्त भूलवश प्रस्तावित नक्शे की बजाय तरमीम गलत जगह हो गई है, जिसे राजस्व नक्शे में सीमांकन का शुद्धिकरण न्यायसंगत बताया गया है।

दिनांक 13.10.2023 को प्रार्थी मय उनके अधिवक्ता एवं स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। दौराने बहस तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शें में तरमीम शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नक्शे अनुसार **मौजा धुबाणा पटवार हल्का धुबाणा तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 329/32 रकबा 0.1214 हैक्टयर भूमि** की तरमीम संशोधित प्रस्तावित नक्शा अनुसार [illegible] किये जाने का आदेश दिया जाता है। **स्वीकृत संशोधित प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2023 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:45:36 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. नरेश सोनी R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

13/10/23